

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

Amendment Act, 2025.

50-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 13, 2025 (PHALGUNA 22, 1946 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 13th March, 2025

No. 12-HLA of 2025/15/4858.— The Haryana Contractual Employees (Security of Service) Amendment Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 12-HLA of 2025

THE HARYANA CONTRACTUAL EMPLOYEES (SECURITY OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 2025

\mathbf{A}

BILL

further to amend the Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows: -

This Act may be called the Haryana Contractual Employees (Security of Service)

Short title and commencement.

- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 31st January, 2025.
- **2.** In Explanation 2 to clause (ii) of section 3 of the Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024, for the words "in a calendar year", the words "during a period of one year contractual service" shall be substituted.

Amendment of section 3 of Haryana Act 17 of 2024.

- **3.** (1) The Haryana Contractual Employees (Security of Service) Amendment Ordinance, 2025 (Haryana Ordinance No. 1 of 2025) is hereby repealed.
- Repeal and savings.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

- i. Under the Act, namely, Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024 the benefit of security of service is admissible to those contractual employees who completed at least five years service in the Government Organization on full time basis as on the appointed date i.e. 15th August, 2024. In Explanation 2 below Section 3 (ii) of the Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024 following provision has been made:-
 - Explanation 2.- For the purpose of calculation of the number of years of engagement, a contractual employee who has received remuneration for at least 240 days in a calendar year shall be deemed to have worked for the entire year,
- **ii.** From the above provision it reveals that for the purpose of calculation of the number of years of engagement, a contractual employee who has received remuneration for at least 240 days in a calendar year shall be deemed to have worked for the entire year.
- **iii.** The Contractual employees have requested to count 240 days during a year of contractual service instead of calendar year otherwise their service of their first calendar year of joining will not be counted if their date of joining is between the months of May and December. Similarly, the current year 2024 upto the cut-off date 15th August, 2024 are 227 as a result their contractual service may not be 240 days during these years.
- **iv.** The request of contractual persons were genuine and for this purpose the matter was put up in Council of Ministers meeting dated 28.12.2024 for consideration that the condition of 240 days in a calendar year may be amended to 240 days during a period of one year contractual service. The Council of Ministers had been approved the proposal.
- v. It was proposed to bring this proposal by means of an Act, however, delaying this until the next session of the Legislative Assembly would to have exacerbated the distress and uncertainly among these employees, leading to potential disruptions in various Government functions. Therefore, Ordinance in this regard was notified on 31st January, 2025 i.e. Haryana Contractual Employees (Security of Service) Amendment Ordinance, 2025.
- vi. The proposed Haryana Contractual Employees (Security of Service) Amendment Act, 2025 seeks to reduce distress and uncertainly among these employees, leading to potential disruptions in various Government functions.

Hence, this Bill

	NAYAB SINGH, Chief Minister, Haryana.	
	DR. SATISH KUMAR,	

Secretary.

Chandigarh: The 13th March, 2025.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 12-एच०एल०ए०

हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक, 2025 हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

- (2) यह 31 जनवरी, 2025 से लागू हुआ समझा जाएगा।
- 2. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 की धारा 3 के खण्ड (ii) की व्याख्या 2 में, "एक कैलेण्डर वर्ष में" शब्दों के स्थान पर, "संविदात्मक सेवा की एक वर्ष की अवधि के दौरान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2024 के हरियाणा अधिनियम 17 की धारा 3 का संशोधन।

3. (1) हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अध्यादेश, 2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनिमय के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

- i. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 के तहत, सेवा की सुरक्षा का लाभ उन संविदात्मक कर्मचारियों को स्वीकार्य है, जिसने नियत तिथि अर्थात् दिनांक 15 अगस्त, 2024 को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो । हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 की धारा 3 (ii) के नीचे व्याख्या 2 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:--
 - व्याख्या 2.— नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतू, किसी संविदात्मक कर्मचारी, जिसने एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया हो, को सम्पूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा,
- ii. उपरोक्त प्रावधान से यह पता चलता है कि नियुक्ति के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए, एक संविदात्मक कर्मचारी जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिनों के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया है, उसे पूरे वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा ।
- iii. संविदात्मक कर्मचारियों ने अनुरोध किया कि नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतू 240 दिन एक कैलेण्डर वर्ष की बजाए संविदात्मक सेवा की एक वर्ष की अविध के दौरान गिने जाए अन्यथा यदि उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि मई से दिसम्बर माह के मध्य है तो उनके कार्यभार ग्रहण करने के प्रथम कैलेण्डर वर्ष की सेवा नहीं गिनी जाएगी। इसी प्रकार, चालू वर्ष 2024 से कट—ऑफ तिथि 15 अगस्त, 2024 तक 227 दिन हैं, जिसके फलस्वरूप इन वर्षों में उनकी संविदात्मक सेवा 240 दिन नहीं हो सकती है।
- iv. संविदात्मक कर्मचारियों का अनुरोध उचित होने के वजह से इस प्रयोजन हेतु दिनांक 28.12.2024 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में यह मामला विचारार्थ रखा गया था कि कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन की शर्त को संशोधित कर एक वर्ष की संविदा सेवा अविध में 240 दिन किया जाए। मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया था ।
- v. इस प्रस्ताव को अधिनियम के माध्यम से लाने का प्रस्ताव था, किन्तु इसे विधान सभा के आगामी सत्र तक विलंबित करने से इन कर्मचारियों में संकट एवं अनिश्चितता बढ़ जाती, जिससे विभिन्न सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना होती। इसलिए, इस संबंध में अध्यादेश 31 जनवरी, 2025 को अधिसूचित किया गया, अर्थात् हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अध्यादेश, 2025.
- vi. प्रस्तावित हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2025 का उद्देश्य इन कर्मचारियों के बीच संकट और अनिश्चितता को कम करना है, जिससे विभिन्न सरकारी कार्यों में संभावित व्यवधान उत्पन्न होते हैं। इसलिए, यह विधेयक प्रस्तुत है।

	नायब सिंह, मुख्यमंत्री, हरियाणा।
चण्डीगढ़ : दिनांक 13 मार्च, 2025.	 डॉ० सतीश कुमार, सचिव।

11729-H.V.S.-H.G.P., Pkl.